न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या संख्या-13,गाजियाबाद।

उपस्थित-सौरभ गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O Code– 2757

सत्र परीक्षण संख्या-98/2020

राज्य बनाम रोहित गुप्ता आदि

मुकदमा अपराध संख्या-1918/2019

धारा 120-B/302,506 भा०दं०सं०

थाना-कविनगर, जनपद गाजियाबाद।

उपस्थितः-

1. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री आदेश त्यागी व सहयोगी अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द सक्सेना।

2. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सागिर अली।

मेमोरण्डम

दिनांक–09–02–2024

1- पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण रोहित गुप्ता, पवन, आकाश, सुन्दरपाल व सागर उर्फ आसिक जेल से तथा अभियुक्त वीरू जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं।

2- पत्रावली आज अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

3- **विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गाजियाबाद द्वारा आरोप के स्तर पर कथन किया कि** मृतक अमित सेठ व अभियुक्त रोहित के बीच पैसे का लेनदेन था। अभियुक्त रोहित को 96,00,000/-रूपये मृतक को देने थे, जिसके संदर्भ में अभियुक्त रोहित द्वारा दिनांक 15.12.2018 में एक लिखित रसीद दिनांकित 15.12.2018 व एक चैक पंजाव एण्ड सिंध बैंक का मृतक को दिया। रोहित ने सुन्दर नाम के लडके से सम्पर्क किया तथा सुन्दर ने वीरू नाम के व्यक्ति से रोहित गुप्ता का सम्पर्क करवाया। वीरू ने अभियुक्त रोहित का सम्पर्क आकाश से करवा दिया। आकाश ने संस्वीकृति की, कि उसने पवन व सागर से मृतक अमित सेठ का कत्ल करवाने की वायदा किया। रोहित ने पवन वगैरहा को अमित सेठ का घर दिखाया। रोहित ने अमित सेठ से नोएडा आने के लिए कहा, परन्तु अमित सेठ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर दिनांक 25-09-2019 को पुनः अमित सेठ से आने के लिए कहा। सुन्दर के पास दो मोबाईल फोन थे। एक मोबाईल फोन से यह रोहित से बात करता था तथा दूसरे मोबाईल से पवन से बात करता था। दिनांक 17.10.2019 को समय 01:30 पी.एम. पर मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। आकाश के पास से एक पिस्टल मिली। पवन के पास से भी एक पिस्टल मिली। रोहित के पास से अंकन 25,000/-रूपये नकद तथा एक स्कूटी मिली। सुन्दर के पास से एक मोबाईल फोन बरामद हुआ। वीरु के पास से कोई चीज बरामद नहीं हुई। घटना वाले दिन की सी.सी.टी.वी. फुटेज के बरामदगी के अनुसार सागर ड्राईविंग सीट पर आकाश बीच में तथा पवन पीछे की तरफ बैठा था। घटना के दौरान अश्विनी कुमार व सार्थक पीछे पीछे आ रहे थे, जिनके द्वारा कथित घटना को देखा गया है। रोहित, सुन्दर व वीरू के विरद्ध धारा 120 बी भा०दं०सं० तथा पवन, आकाश व सागर के विरुद्ध 302 भा०दं०सं० का आरोप बनता है।

4- **अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि** सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है व प्रथम सूचना रिपोर्ट शक के आधार पर दर्ज करायी गयी थी, जिसमें अभियुक्त रोहित के अलावा अन्य सभी नामजद अभियुक्तों को पुलिस द्वारा बरी कर दिया गया है

व जिस फॉर्च्यूनर में अमित सेठ घटना के समय बैठे थे, उसका संबंध अंकित से है जिसके नाम पर उक्त फॉर्च्यूनर पंजीकृत है और वह मृतक का पार्टनर है और 01 करोड 41 लाख रूपये का लेनदेन है। केवल शक के आधार पर अंकित को अधिक पैसा मृतक को देना था, जिस कारण उसके पास अभियुक्त रोहित से ज्यादा बडा उद्देश्य कत्ल कारित करवाने का था, उसे क्यों छोड दिया इसका कोई स्पष्ट उल्लेख केस डायरी में नहीं है। इस पत्रावली में किसी भी अभियुक्त की शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है। वीरु के खिलाफ संस्वीकृति कथन के अलावा कोई साक्ष्य नहीं है। न तो कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य है और न ही कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। वीरू की प्रथम जमानत सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के यहाँ से हो चुकी है। यदि चैक धनराशि अंकन 96 लाख रूपये का मामला था, तो चैक बाउन्स कराकर 138 एन.आई. एक्ट का मुकदमा क्यों नहीं योजित किया।

5- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिन्दु पर सुना गया तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

6- **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र आदि 2012 9 SCC 460** में यह निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को आरोप तय करते समय पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को और विपक्षीगण को सुनकर आरोप तय करने चाहिए और न्यायालय के विचार में यह अवधारण आती है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो उसके आरोप तय कर देने चाहिए। न्यायालय की संतुष्टी पर आरोप के आवश्यक तत्वों के संदर्भ में होने चाहिए और संतुष्टि का स्तर प्रथमदृष्टया से भी कमजोर हो सकता है। अर्थात न्यायालय प्रथमदृष्टया गम्भीर संदेह के आधार पर भी आरोप विरचित कर सकता है। यह भी विधि व्यवस्था स्थापित की है आरोप तय करने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की सुसंगतता एवं ग्राह्यता को भी दृष्टिगत रखना चाहिए।

सज्जन कुमार बनाम सी.बी.आई. 2010 9SCC 368 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि अगर पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से अपराध की अवधारणा आती है तो उन अपराधों में आरोप तय कर देने चाहिए। आरोप के स्तर पर तथ्य की ओर साक्ष्यों की प्रामाणिकता, सत्यता और एविडेन्सरी वैल्यू का मूल्यांकन करना कतई आवश्यक नहीं है। आरोप के स्तर पर न्यायालय को आरोप तय करने के आधार बताये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अभियुक्त रोहित शक के आधार पर नामजद मुल्जिम है। सी.डी. संख्या 10 अभियुक्त रोहित व मृतक अमित सेठ के मध्य अंकन 96 लाख के लेनदेन का साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है जिसके अनुसार अभियुक्त रोहित को मृतक को 96 लाख रूपये देने थे। सी.डी. संख्या 7 सीरियल नं० 3 व 5 में मृतक की पत्नी अनुभा सेठ व महेश आहूजा के समक्ष अभियुक्त रोहित द्वारा जान से मारने की धमकी देना व मृतक अमित सेठ द्वारा भी रोहित गुप्ता द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी देना तथा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी का कथन किया है। अभियुक्तगण द्वारा संस्वीकृति के अनुसार रोहित गुप्ता द्वारा सुन्दर से सम्पर्क किया गया। सुन्दर ने वीरू से बात की तथा वीरू ने आकाश व पवन व सागर से मिलवाया व उसके पश्चात पाँच लाख रूपये की ऐवज में रोहित गुप्ता, सुन्दर, पवन व आकाश के मध्य हत्या करने का करार हुआ। जिसके तहत दो लाख रूपये एडवान्स दे दिये बाकी काम के बाद दिये जाने का करार हुआ जिसकी अनुपालना में आकाश, पवन सागर द्वारा अमित सेठ की फॉर्च्यूनर कार में जाते समय हत्या की। उक्त घटना के समय सागर मोटरसाईकिल चला रहा था। इसके संदर्भ में पत्रावली पर तीनों मोटरसाईकिल पर जाते हुए एक अन्य फोटो में सागर व पवन जाते हुए देखे। एफ.एस.एल. रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत अमित सेठ की मृत्यु का कारण आठ गोली लगना है। जो अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है।

7- अतः केस डायरी के परिशीलन से अभियुक्त रोहित गुप्ता के विरुद्ध धारा 120 बी/302,506 भा०दं०सं०, अभियुक्तगण सुन्दरपाल व वीरू के विरुद्ध धारा 120 बी/302 भा०दं०सं० तथा अभियुक्तगण पवन, आकाश व सागर उर्फ आसिक के विरुद्ध धारा 120 बी/302, धारा 302/34 भा०दं०स० के तहत आरोप विरचित किये जाने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

8- अतः अभियुक्त रोहित गुप्ता के विरुद्ध धारा 120 बी/302,506 भा०दं०सं०, अभियुक्तगण सुन्दरपाल व वीरू के विरुद्ध धारा 120 बी/302 भा०दं०सं० तथा अभियुक्तगण पवन, आकाश व सागर उर्फ आसिक के विरुद्ध धारा 120 बी/302, धारा 302/34 भा०दं०स० में आरोप आज विरचित किया जाता है। आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये गये। आरोपों से अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

9- पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 13.02.2024 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)

दिनांक-09-02-2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

न्याय कक्ष सं०-13, गाजियाबाद।